



## (मुख्य योजना अनुभाग)

### सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **तीस (30) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा** ई-मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

### प्रस्तावित संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्र	दिल्ली मुख्य योजना -2021 /जोन ‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमाएँ
योजना जोन-एफ में वसंत विहार, नई दिल्ली	6769.60 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी (जी2)	उत्तर : खाली भूमि दक्षिण : पहुंच मार्ग पूर्व : सीवीआई कॉलोनी पश्चिम : 12 मीटर सड़क

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022> पर भी उपलब्ध है।

पीएलजी/एमपी/0055/2021/एफ-3

दिनांक: 29.03.2022

स्थान: नई दिल्ली

ह०/-

(डी. सरकार)

आयुक्त एवं सचिव  
दिल्ली विकास प्राधिकरण



@ddaofficial



@official\_dda पर हमें फॉलो करें

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।